भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं.722
25 जुलाई, 2023 को उत्तर देने के लिए

पी.एम.एफ.ए.मई. योजना को बढ़ावा देना

722. डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
डॉ. कृष्णपाल सिंह यादवः
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिलः
प्रो. रीता बहुगुणा जोशीः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पी.एम.एफ.एम.ई.) योजना को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में की गई पहलों के संबंध में डेटा प्रदान कर सकती है और वे किस हद तक लाभार्थियों के बीच जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने में प्रभावी हुए हैं;

(ख) क्या सरकार एक जिला एक उत्पाद(ओ.डी.ओ.पी.) योजना के अंतर्गत उत्पादों के चयन में स्थानीय समुदायों को शामिल कर रही है;

(ग) इसके लाभों को स्थानीय लाभार्थियों तक पहुंचाने के तरीकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या पी.एम.एफ.एम.ई. के कार्यान्वयन के तीन वर्षों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में, इसके आंकड़ों और पहुंच में कोई वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एम.ओ.एफ.पी.आई.) समाचार पत्र विज्ञापन, रेडियो जिंगल्स, प्रदर्शनियों और एक्सपो, मिलेट मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि जैसे राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जागरूकता अभियानों के माध्यम से आम जनता की जागरूकता बढ़ाने और योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी भागीदारी के उद्देश्य से प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पी.एम.एफ.एम.ई.) योजना को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहा है ।

(ख): ओडीओपी को कृषि उत्पादन, ओ.डी.ओ.पी. के प्रसंस्करण में लगे सूक्ष्म-खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों, एसएचजी/एफपीओ/सहकारी/सूक्ष्म-उद्यमों की उपस्थिति आदि के आधार पर संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार की सिफारिश और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के परामर्श से अधिसूचित किया जाता है।

(ग): एम.ओ.एफ.पी.आई. योजना दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान सूक्ष्म-खाद्य प्रसंस्करण सुविधा के उन्नयन या नई सूक्ष्म-खाद्य प्रसंस्करण सुविधा की स्थापना के लिए इच्छुक व्यक्ति/इकाई को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान कर रहा है।

(घ): कार्यान्वयन के पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमएफएमई योजना की पहुंच में सराहनीय वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है।

वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या (व्यक्तिगत/समूह, सामान्य अवसंरचना, ऊष्मायन केंद्र/प्रारम्भिक पूंजी)			
	कुल	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र
2020-21	154	10	0	3
2021-22	45076	2067	3670	12242
2022-23	107346	6305	4681	15346
2023-24*	11257	1025	341	1420
	164743	9407	8692	29011

* 15 जुलाई 2023 तक

*****